# फर्द अहकाम
# कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

**प्रार्थी : श्री रगंलिया उर्फ जगदीश** **विपक्षी : श्री सुरेश कुमार**

**किस्म मुकदमा – 188 रा.का. अधिनियम** **पत्रावली संख्या : 75/18**

| क्रमांक | कार्यवाही विवरण | हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई |
|---|---|---|

दिनांक : 22.12.2021

पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021 कैम्प पलानाकलां में पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहे हैं। अधिवक्ता वादी की एकतरफा बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। वादी द्वारा प्रकरण में प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। वादी खातेदार काश्तकार होने से वादी को अपनी भूमि का उपयोग उपभोग करने का पूरा अधिकार हैं। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे हैं। प्रतिवादीगण उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार नहीं होने से प्रतिवादीगण को वादी के हिस्से की भूमि में दखलन्दाजी करने का कोई हक अधिकार नहीं हैं। प्रतिवादीगण द्वारा उपस्थित होकर वादी के वाद का किसी प्रकार से कोई खण्डन नहीं किया है, इससे भी वादी के वाद को बल मिलता हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

**–: आदेश :–**

परिणामस्वरूप वाद वादी अन्तर्गत धारा 188 राज.का.अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा पलानाकलां पटवार हल्का पलानाकलां की आराजी नम्बर 2718, 2719, 2721, 2722, 2723, 2724, 2725, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, 2736, 2737, 2741, 2742, 2745, 2746, 2747, 2748, 2749, 2750, 2751, 2752, 2753, 2754, 3317/2750 किता 31 रकबा 28 बीघा 6 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 2715, 2716, 2717, 2738, 2739, 2740, 2743 किता 7 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा भूमि में प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त में कोई बाधा पैदा नहीं करें, न ही वादग्रस्त आराजीयात में प्रवेश करे, वादी को अपने हिस्से कब्जे की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय खुले सुनाया गया।

**(मयंक मनीष I.A.S.)**
**सहायक कलक्टर**
**(SDO) मावली**

Signature Not Verified

Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2022.01.21 10:40:44 IST
Reason: SelfAttested

# मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7 )

# न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर

## पीठासीन अधिकारी : श्री मयंक मनीष, I.A.S

## उनवान

1. श्री रंगलिया उर्फ जगदीश पिता गणेश डांगी निवासी पलानाखुर्द हाल सिन्देसर कलां जिला राजसमन्द।

..................वादी

**बनाम**

1. श्री सुरेश कुमार पिता जगन्नाथ डांगी निवासी पलानाखुर्द तह. मावली।
2. श्री दिनेशचन्द्र पिता जगन्नाथ डांगी निवासी पलानाखुर्द हाल निवास 16 आर नं. 2061 श्री नामों वेलफेर सोसाइटी संत एकनाथ मार्ग, सावरपाडा, बोरीवली ईस्ट मुम्बई, महाराष्ट्र।
3. उप पंजीयक अधिकारी, मावली तह. मावली।
4. पटवारी, पटवार हल्का पलानाकलां तह. मावली।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

.............प्रतिवादीगण

## वाद अन्तर्गत धारा 188 राज.काश्तकारी अधिनियम

## मुकदमा न0 : 75/18 (वाद) GCMS No. – 2018/00154

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु मयंक मनीष, I.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वाद वादी अन्तर्गत धारा 188 राज. का. अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा पलानाकलां पटवार हल्का पलानाकलां की आराजी नम्बर 2718, 2719, 2721, 2722, 2723, 2724, 2725, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, 2736, 2737, 2741, 2742, 2745, 2746, 2747, 2748, 2749, 2750, 2751, 2752, 2753, 2754, 3317/2750 किता 31 रकबा 28 बीघा 6 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 2715, 2716, 2717, 2738, 2739, 2740, 2743 किता 7 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा भूमि में प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त में कोई बाधा पैदा नहीं करें, न ही वादग्रस्त आराजीयात में प्रवेश करे, वादी को अपने हिस्से कब्जे की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 22.12.2021 को जारी की गई।

(मयंक मनीष IAS)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2022.01.21 10:40:44 IST
Reason: SelfAttested